प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 25.08.2023 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी।

1-अवैध 20-20 लीटर अपमिश्रित शराब के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार,थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है आज दिनांक 25.08.2023 को उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्तगण 1. सेबू पुत्र गुलाम मदार निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर ,मुरादाबाद 2. बब्लू पुत्र शमी निवासी ग्राम तमडिया कला थाना डिलारी,मुरादाबाद को मय दो जरी केन प्लास्टिक में लगभग 20 -20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब ,1 किलो 200 ग्राम यूरिया आदि सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-250/2023 धारा-60 आबकारी अधि0 व धारा-272/273 भादवि पंजीकृत किया गया।

2.-घर में घुसकर छेडछाड़ करने तथा फोटो खींचकर वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार,थाना ठाकुरद्वाराः-

अवगत कराना है दिनांक 29.07.2023 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी की पुत्री के साथ छेडछाड करने तथा फोटो खींचकर वायरल करने के संबंध मे थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी,तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0-294/2023 धारा-452/354 भादवि 67 IT ACT पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 25.08.2023 को उ0नि0 श्री सन्दीप मलिक थाना ठाकुरद्वारा ने मय हमराही पुलिसबल के अभियुक्त गजेंद्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम पसियापुरा पदार्थ,थाना ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3- थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा लूट करने के 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार करते हुये कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अवैध चाकू मय लूट के बरामद हुए माल तथा घटना में प्रयुक्त मो0सा0 हिरो स्पलैण्डर बरामद।

सादर अवगत करना है कि दिनांक 24.08.2023 को वादी लेखराज पुत्र स्व0 चुन्नीलाल मय अपनी पत्नी श्रीमति सुखिया देवी व जनता के व्यक्ति 1. संजीव कमार पुत्र लेखराज 2. डा. राकेश कुमार पुत्र रामगोपाल सिहं निवासी गण ग्राम ईलर का मझरा, थाना मूंढापाण्डे,मुरादाबाद मय 02 नफर अभियुक्तगण 1. मौ0 बिन कासिम पुत्र मौ0 सलीम निवासी ग्राम कुआखेडा नगलीया कासमगंज थाना टाण्डा जिला रामपुर व 2. उस्मान उर्फ छोटू पुत्र इकरार निवासी नईबस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन जिला रामपुर मय एक मोटरसाईकिल हिरो स्पलैण्डर प्लस बिना रजि0 न0,एक अवैध तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अवैध चाकू तथा लूट के बरामद 01 जोडी पीली धातू (कानो के कुन्डल) , 1800 रुपये नकद, एक पॉकेट डायरी, लेखराज का आधार कार्ड न0 व 04 विजिटिंग कार्ड जिन पर अम्बे डी.जे. साउण्ड सिस्टम एण्ड साउण्ड मय 01 किता टाईप शुदा तहरीर के उपस्थित थाना आये। दाखिला तहरीर व बरामदा माल के आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 234/2023 धारा 341/394/411 भादवि व धारा-3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. मौ0 बिन कासिम पुत्र मौ0 सलीम निवासी ग्राम कुआखेडा नगलीया कासमगंज थाना टाण्डा जिला रामपुर व 2. उस्मान उर्फ छोटू पुत्र इकरार निवासी नईबस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन जिला रामपुर पंजीकृत कर अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। अभियुक्तगण के विरूध मुरादाबाद व अन्य जनपदो में अभियोग पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण से सामूहिक पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनो ने थाना मूढापाण्डे क्षेत्र में ग्राम ईलर का मझरा में मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर से तथा असलाहो से लैस तमंचा 12 बोर व 01 कारतूस 12 बोर तथा एक चाकू से लैस थे जो हम लोग अपने बचाव व लूटते समय डराने धमकाने के लिये प्रयोग में लाने के लिये साथ लाये थे और समय करीब 05.00 बजे शाम के लगभग थाना मूढापाण्डे क्षेत्र में ईलर का मझरा क रास्ते पर पहुचे गये और कुछ देर बाद ईलर रसूलाबाद की तरफ से आ एक मोटर साईकिल सवार पीछे बैठी महिला के साथ आया। वैसी ही हमने मोटर साईकल रोड पर लगाकर रोक लिया तथा हम दोनो ने अपने साथ लिये तमंचा व चाकू को दिखाकर डरा धमकाकर महिला से 01 जोडी कुण्डल कानो के व पुरूष से एक डायरी जिसमें 1800 रूपये नकद, एक आधार कार्ड व कुछ विजिटिंग कार्ड आदि मारपीट कर लूट लिये थे लूटने वाले लोगो के शोर –शराबा व चिल्लाने पर हम लोग मय लूटे गये सामान के रसूलाबाद की तरफ अपनी मोटर साईकिल से भाग गये थे तभी कुछ देर बाद जिसको हमने लूटा था वह व्यक्ति व कुछ अन्य गांववालो ने मोटर साईकिल से हमारा पीछा किया तथा ग्राव अक्का डिलारी के पास भागते हुये हमारी मोटर साईकिल स्लिप हो गयी तथा हम दोनों गिर गये। जिससे हम दोनो को काफी चोट आ गयी तथा मोटर साईकिल भी छतिग्रस्त हो गयी और तभी एक दम पीछा करने वाले लोगों ने हम दोनों को पकड लिया तथा उन लोगों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की तथा कब्जे से लूटे गये सामान 1800/- रूपये नकद , एक आधार कार्ड व 3-4 विजिटिग कार्ड साउड सिस्टम के व एक तमंचा 12 बोर मय एक कारतूस 12 बोर तथा मेरे साथी मौ0 बिन कासिम के कब्जे से लूटे गये एक जोडी कुण्डल पीली धातु/सोने जैसे तथा एक चाकू नाजायज जो उन व्यक्तियो ने हमसे ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नामः-

1. मौ0 बिन कासिम पुत्र मौ0 सलीम निवासी ग्राम कुआखेडा नगलीया कासमगंज थाना टाण्डा जिला रामपुर
2. उस्मान उर्फ छोटू पुत्र इकरार निवासी नईबस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन जिला रामपुर

अभियुक्तगण से बरामदगी:-

1.एक अवैध तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर
2.एक अवैध चाकू
3.लूट के बरामद 01 जोडी पीली धातू के कानों के कुन्डल
4.1800 रुपये नकद
5.एक पाकेट डायरी
6.लेखराज का आधार कार्ड न0 293163177396
7.04 विजिटिंग कार्ड जिन पर अम्बे डी.जे. साउण्ड सिस्टम एण्ड साउण्ड
8.लूट में प्रयुक्त हीरो मोटर साईकल बिना नम्बर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

1.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र इकरार निवासी नईबस्ती अजीतपुर थाना सिविल लाइन जिला रामपुर

1.मु0अ0सं0 302/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गंज जनपद रामपुर
2.मु0अ0सं0 22/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना टाण्डा जनपद रामपुर
3. मु0अ0सं0 246/19 धारा 489बी/498बी भादवि थाना टाण्डा जनपद रामपुर
4. मु0अ0सं0 182/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर
5. मु0अ0सं0 645/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर
6. मु0अ0सं0 682/16 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर
7. मु0अ0सं0 18/19 धारा 379/411 भादवि थाना शहजादनगर जनपद रामपुर

2.मौ0 बिन कासिम पुत्र मौ0 सलीम निवासी ग्राम कुआखेडा नगलीया कासमगंज थाना टाण्डा जिला रामपुर

1.मु0अ0सं0 385/17 धारा 3(1)(2) एससी/एसटी एक्ट व 354ए/354बी भादवि व 67ए आईटी एक्ट थाना टाण्डा जनपद रामपुर